

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विष्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/470

दायरा तिथि : 31.07.2025

आदेश तिथि : 13-05-2026

प्रार्थी :-

कीकाराम चौधरी पुत्र गेनाराम जाति चौधरी निवासी मुण्डारा तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 13-05-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 50 रकबा 4.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 50/671 रकबा 2.8000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख मुण्डारा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2026/1399 दिनांक 08.05.2026 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

- यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तों के विकल्पों में से निकटतम नहीं है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है, क्योंकि खसरा नंबर 50/671 सिवायचक भूमि होने से उक्त खसरों में से कहीं से भी आवागमन हो सकता है।
- यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
	50/671	2.8000	बारानी सोयम	221X06=1326 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
	5. यह है कि ग्राम पुनाडिया में रास्ते हेतु अन्य विकल्प हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-				
क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	50/714	1.9200	बारानी सोयम	186X06=1116 वर्गमीटर	सुनील गर्ग पुत्र लक्ष्मण गर्ग जाति गर्ग (गरुडा) सा. देह मुण्डारा

अतः ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 50/714 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि में से निकटतम रास्ता होने से एवं भूमि का क्षेत्रफल कम प्रभावित होने से उक्त निकटतम रास्ता दिया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर एवं पट्टे उपखण्ड अधिकारी, बाली

यह है कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,59,600/- रुपये प्रति हैक्टर है। यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं हैं एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

पेज लगातार.....02

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 50 रकबा 4.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चूंकि खसरा नंबर 50/671 से रास्ता दिये जाने पर वर्तमान रास्ता पहले से मौके पर चल रहे रास्ते से जुड़ता है। अतः न्यायहित में खसरा नंबर 50/671 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 50 रकबा 4.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम पुनाडिया पटवार हल्का कोटबालियान तहसील बाली के खसरा नंबर 50/671 रकबा 2.8000 हैक्टर में से 1326 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 259600/-रुपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
50/671	2.8000	221X06=1326 वर्गमीटर	26	34476X2=68952	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 68952/- (अक्षरे अडसठ हजार नौ सौ बावन रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जाये। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक वकील एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 13-05-2026

क्रमांक/कोर्ट/2026/773-777

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, कोटबालियान
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कीकाराम चौधरी पुत्र गेनाराम जाति चौधरी निवासी मुण्डारा को सूचनार्थ।

सहायक वकील एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नवशा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/05/2026 06:40:10 PM


जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : मुण्डारा

पटवारी हल्का : कोटबालीगान

ग्राम : पुनाडीया



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 50/671 क्षेत्रफल : 2.8000 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1
 भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी सोयम [2.8000, 11.20]
 राज. सरकार

(मू.अ.) बाली

दिनेश मेघवाल
 पटवारी (भ.अ.)
 सक्षम अधिकारी के हस्तक्षेप एवं प्रमाणित
 पटवार मण्डल, कोटबालीगान
 तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.)

(Signature)
 12/5/26
 ICR मुण्डारा

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/संशोधन के प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।